किसानों को छह घंटे बिजली दो, अन्यथा इस सरकार का सर्वनाश होगा : रामप्रताप कासनियां

'गांवों में 15 पावर के ट्रांसफार्मर पर 100 कनेक्शन कर रखे हैं, बल्ब भी दीये की तरह जलता है'

-विधानसभा संवाददाता-

- कासनियां ने कहा ''सरकार विधानसभा में कहती तो है कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे, लेकिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। काश्तकार खुद जला हुआ ट्रांसफार्मर लेकर निजी खर्चे पर बदलवाता फिरता है।''
- बूंदी के केशोरायपाटन में बाढ़ से 15 दिन तक बिजली बंद रही। बारिश आने पर इलाके में 8-8 घंटे बिजली कटौती होती है, कौन जिम्मेदार है : चंद्रकांता मेघवाल

जयपुर। प्रदेश में बिजली संकट के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनियां ने कहा "4 साल में सब लोग लाइट की स्थिति को लेकर रो रहे हैं। चाहे सारे कारखानों की लाइट बंद कर दो, कुछ भी करो। लेकिन किसानों की पूरी 6 घंटे लाइट देने का काम सरकार करेगी, तो बचेगी, वरना इस सरकार का सर्वनाश होगा। बिजली के मामले में ध्यान नहीं दिया, तो चेतावनी देता हूं कि बिजाई का समय है, लोग आंदोलित हो उठेंगे।''

विधायक कासनियां ने कहा कि राज्य सरकार के पास बिजली सरप्लस है तो गई कहां, उसको कौन खा गया? कहां चोरी हो रही है पकड़ो। चोरी तो हो रही है ये बात आप दबी जबान से मानते हो, लेकिन उसे पकड़ों तो सही। हर गांव में एक ट्रांसफार्मर 15 पावर का है, उस पर कनेक्शन 100 हैं। 100 से ज्यादा लोड होते ही वो ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देता है। दीये की तरह बल्ब जलता है। क्योंकि 150 आदमियों ने कुंडी डाल ली। कुंडी डालने की बात डिपार्टमेंट से छिपी हुई नहीं है।

कासनियां बोले मुझे किसानों के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। पर हम भी बख्शते नहीं है। मौका लगे 2 फेस मिल जाए तो पुर्जा लगाकर फिर ट्यूबवेल चला लेते हैं। इस तरह की घटनाएं भी होती है। इस पर रोकथाम लगानी चाहिए। बार-बार कहने के बावजूद ठेकेदारी प्रथा चल रही है। गांव के अंदर बड़ा फाल्ट हो जाए तो सरकारी फॉरमेन तो सुधार करते नहीं है। लाइनमैन ठेके वालों के आने की बात कहते हैं। वो 10-10 दिन तक नहीं आते हैं। सरकार यहां कहती तो है कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल देंगे। लेकिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। काश्तकार खुद जला हुआ ट्रांसफार्मर लेकर शहर में जाता है, नया आने पर भी खुद के खर्चे से ट्रांसफार्मर खेत पर लाता है। सरकार इसका पैसा वसूल करती है। काश्तकार पर डबल मार हो रही है। उसे निजी वाहन से ट्रांसफार्मर पहुंचाना पड़ता है। बाद में नया ट्रांसफॉर्मर आने पर ले जाने में भी खर्चा करना पड़ता है, काश्तकार से दोहरी लूट हो रही है। बूंदी के केशोरायपाटन से बीजेपी विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिस्कॉम के पास 132 केवी जीएसएस के 5 प्रस्ताव आए हुए हैं। बाढ़ की वजह से मेरे क्षेत्र में 15 दिन बिजली बंद रही। 132 केवी के सारे जीएसएस सेंक्शन किए जाएं। 33 केवीए की लाइन डालने के प्रस्ताव भी सेंक्शन किए जाएं। पिछले 3 साल से बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बारिश आने पर इलाके में 8-8 घंटे बिजली बंद रहती है।

मेघवाल ने सदन में कहा प्रदेश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 8880 मेगावाट है, लेकिन केवल 4545 मेगावाट बिजली पैदा कर पा रहे हैं। सूरतगढ़ ओ एंड एम की 1 यूनिट बंद है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट की 1 यूनिट बंद है। कोटा में 3 नम्बर यूनिट बंद है। छबड़ा में 4 नम्बर यूनिट 6 महीने से बंद है। उत्पादन निगम 50 प्रतिशत ही बिजली प्रोडक्शन कर पा रही है। अघोषित बिजली कटौती और लोड शेडिंग के नाम पर जनता को रात-दिन भरी बारिश में भी परेशानी हो रही है। जालौर से बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग बोले- 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, जब इसी पवित्र सदन में राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भंग करके 5 कंपनियां बनाईं। यह तय किया कि 20 साल बाद फिर से विचार करेंगे कि यह प्रयोग सफल हुआ या नहीं। अब फिर से विचार करने का वक्त आ गया है। जिस समय का विघटन हुआ, उस वक्त तीनों डिस्कॉम कंपनियों का घाटा 600 करोड़ रुपए घाटा था। बाद में घाटा बढ़ता गया। जिसमें ट्रांसमिशन लॉस बड़ा कारण था। 5 साल पहले इन बिजली कंपनियों का घाटा 80 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तब बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा सरकार सीएम थी। वसुंधरा राजे ने 60 हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देकर कंपनी को घाटे से उबारने की कोशिश की थी। अब 5 साल बाद वापस 80 हजार करोड़ से ज्यादा घाटा हो गया है। अब आपका वक्त आ गया है सरकारी खजाने से राजस्थान सरकार 80 हजार करोड़ के घाटे की भरपाई करे। चुनावी साल आने वाला है कई लॉलीपॉप देने होंगे। ये फ्री, वो फ्री, तो सरकार अभी से व्यवस्था करे।

स्थानीय लोगों को जोड़ कर पर्यटन को विकसित करें : राज्यपाल

- मिश्र ने इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 9वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पर्यटन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाते हुए इसे जन उद्योग के रूप में विकसित किए जाने का आव्हान किया है। उन्होंने पर्यटन को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बताते हुए इससे रोजगार के अधिकाधिक सृजन की संभावनाओं पर कार्य किए जाने की आवश्यकता जताई।

राज्यपाल मिश्र गुरुवार दोपहर जयपुर जिले के बिशनगढ़ स्थित अलीला फोर्ट में इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) के 9वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के आने से होटल उद्योग को ही लाभ नहीं होता बल्कि दूसरे उद्योगों, हस्तशिल्प और परिवहन से जुड़े स्थानीय लोगों को भी आजीविका मिलती है। इसके महत्व को देखते हुए ही विकसित राष्ट्र भी पर्यटन को अपनी अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता से स्थान देते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में पर्यटन उद्योग को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा था, ऐसे में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में पर्यटकों के स्वागत और आवभगत की अनूठी संस्कृति है। प्राचीन धरोहर, स्मारकों, किले-महलों के रूप में जो पर्यटन सम्पदा राजस्थान में है, उतनी किसी और प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां की समृद्ध पर्यटन विरासत और विविधता के प्रचार- प्रसार के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय पर्यटन केन्द्रों के साथ ही कम प्रचलित पर्यटन स्थलों, हेरिटेज से जुड़े स्मारकों, किले-महलों को पर्यटन मानचित्र में पहचान दिलाई जाए। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि हेरिटेज होटल्स पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केन्द्र होते हैं। इन हेरिटेज होटल्स के साथ उस स्थान-विशेष की संस्कृति से भी यहां आने वाले पर्यटकों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग कलाओं से जुड़े लोक कलाकारों को भी हेरिटेज होटल्स द्वारा कला प्रदर्शन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

पंजाब के पूर्व राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की चर्चा करते हुए इसके संरक्षण की दिशा में समन्वित प्रयास किए जाने पर बल दिया।

राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान की विश्व में पर्यटन को लेकर एक अलग पहचान है। भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है।

आईएचएचए के अध्यक्ष रणधीर विक्रम सिंह मंडावा ने कहा कि देश में हेरिटेज पर्यटन को प्रोत्साहन देने के साथ ही भारतीय विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आईएचएचए के अध्यक्ष (एमेरिटस) और जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह ने विरासत पर्यटन के विकास, संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में विचार व्यक्त किए।

लम्पी रोग से हिंगोनिया में गौवंश की हालत बेहद दयनीय

लम्पी रोग से पीड़ित गौवंश की हिंगौनिया गौशाला में हालात बेहद अधिक दयनीय है। यहां महापौर व अफसर जब निरीक्षण करने जाते हैं तो उन्हें स्वस्थ अथवा कम बीमार गौवंश दिखाया जा रहा है, जबकि बाड़ों में गौवंश की हालत ज्यादा बदतर है। हालांकि समाजसेवी और गौ-प्रेमी अपनी टीम के साथ लम्पी ग्रसित गायों को आयुर्वेदिक दवाएं भी दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नितेश खंडेलवाल अपनी टीम के साथ लंपी ग्रसित गायों को हिंगोनिया गौशाला में डॉक्टर द्वारा बताई विधि अनुसार प्रतिदिन 4000 से ज्यादा आयुर्वेदिक लड्डू पहुंचा रहे हैं।

'वनभूमि पर पट्टा जारी करने वाले अधिकारियों की जानकारी दें'

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वन भूमि पर पट्टा काटने के मामले में नाराजगी जताई है

जयपुर, (का.सं.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वन भूमि पर पट्टा काटने के मामले में नाराजगी जताई है। एनजीटी ने वन विभाग की भूमि के खसरा नंबर बांटने और पट्टा जारी करने वाले अधिकारियों की जांच कर उसकी जानकारी एनजीटी में पेश करने को कहा है। वहीं अधिकरण ने पट्टा ट्रांसफर के संबंध में सभी जानकारी एक माह में पेश करने को कहा है। अधिकरण ने पीसीसीफ, स्थानीय कलेक्टर और जेडीए आयुक्त को कहा है कि वे एक साथ मिलकर अतिक्रमण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। अधिकरण ने यह आदेश राजेन्द्र तिवारी के प्रार्थना पत्र पर दिए।

सुनवाई के दौरान अधिकरण के आदेश की पालना में जेडीए आयुक्त और पीसीसीएफ वीसी के जरिए पेश हुए। जेडीसी ने माना कि नाहरगढ अभयारण्य की जमीन पर अतिक्रमण है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि नाहरगढ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खसरा नंबर 6445 पर स्थित पिलर नंबर 361 से 366 की भूमि पर बहुमंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग ने भी 21 जुलाई 2021 को माना था कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण हो रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक सदस्य न्यायाधीश एसके सिंह और विशेषज्ञ सदस्य अरुण कुमार वर्मा की बेंच ने कहा कि भूमि से अतिक्रमण हटाने की नियमानुसार कार्रवाई के साथ बताया जाए कि आखिर कब किस अधिकारी के कार्यकाल में पूरी प्रक्रिया हुई है। इसी के साथ मामले में जवाब देने के लिए जेडीए सहित अन्य पक्षकारों ने एक माह का समय मांगा।

वन भूमि पर बसे अतिक्रमियों के पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं : हेमाराम चौधरी

- माइनिंग करने वाले या बड़े औद्योगिक प्लांट लगाने वाले लोग तो आसानी कन्वर्जन करवा लेते हैं, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सरकार को ही चाहिए कि वो पहल कर इस दिशा में कदम उठाए : अध्यक्ष
- इस पर मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा, ''अगर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या फिर कोई ऐसी एजेंसी उन्हें लिखित शिकायत दे तभी वो इस दिशा में कुछ कर सकेंगे''

जयपुर (वि.सं.)। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि वन भूमि से अतिक्रमियों को हटाए जाने के बाद उनके पुनर्वास का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

चौधरी ने प्रश्नकाल में विधायक बाबूलाल नागर के प्रश्न पर कहा कि पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम- 1972 के तहत अतिक्रमियों के खिलाफ कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के लिए पुनर्वास का कोई प्रावधान नहीं है। चौधरी ने कहा कि केवल जनजाति क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वन भूमि को किसी और उपयोग में काम नहीं लिया जा सकता है।

स्पीकर ने वन भूमि क्षेत्र में निवास करने वालों की समस्याओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माइनिंग करने वाले या बड़े औद्योगिक प्लांट लगाने वाले लोग तो आसानी कन्वर्जन करवा लेते हैं, लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सरकार को ही चाहिए कि वो पहल कर इस दिशा में कदम उठाए। इस पर मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या फिर कोई ऐसी एजेंसी उन्हें लिखित शिकायत दे तभी वो इस दिशा में कुछ कर सकेंगे।

'वेद अध्यापकों की नियमित भर्ती एक माह में शुरू होगी'

- मंत्री ने माना कि संस्कृत विवि.एवं संस्कृत कॉलेतों में वेदों का अध्यापन के लिए व्याख्याता व प्रोफेसर की नियमित भर्ती नहीं की गई है

जयपुर, (वि.सं.)) राजस्थान के संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. बी डी कल्ला ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों एवं जगदगुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आगामी एक महीने में वेदों के अध्यापन के लिए वेद अध्यापकों के सेवा नियम तथा रोस्टर प्रणाली लागू कर नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

डॉ. कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि यह सही है कि संस्कृत विश्व विद्यालय एवं संस्कृत महाविद्यालयों में वेदों का अध्यापन कराने के लिए व्याख्याता, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियमित भर्ती नहीं की गई है लेकिन संस्कृत शिक्षा एवं वेदों का अध्ययन प्रभावित नहीं हो इसके लिए हमने विद्या सम्बल योजना के तहत लेक्चरर को 20 हजार रूपये, एसोसिएट प्रोफेसर को 40 हजार रूपये एवं प्रोफेसर को 50 हजार रूपये मासिक दिये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह सही है कि संस्कृत शिक्षा एवं वेदों के अध्ययन के लिए सेवा नियम 1978 में बने थे, लेकिन उसके बाद आज तक इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है।

डॉ. कल्ला ने कहा कि संस्कृत शिक्षा एवं वेदों का हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और हम वेदों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करेंगें। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों को राजस्थान लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरा जायेगा।

उन्होंने कहा कि संस्कृत महाविद्यालय सेवा नियम प्रक्रियाधीन है तथा सेवा नियम जारी होने पर महाविद्यालय के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

ग्यारह आतंकियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश

जयपुर, (का.सं.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को एनआईए ने चितौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया है। वहीं मामले में अग्रिम जांच भी जारी रखी गई है।

एनआईए ने अपनी जांच में इमरान खान, आक़िफ़, अमीन खान, मोहम्मद अमीन पटेल, सैफुल्ला खान, अल्तमश खान, जुबेर खान, मजहर खान, फिरोज खान, मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान को आरोपी माना है।

जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा में एक कार से विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ था। शुरुआत में निम्बाहेडा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहीं बाद में इसे एनआईए को भेज दिया गया। जहां एनआईए ने प्रकरण फिर से दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच में पता चला की मुख्य साजिशकर्ता इमरान खान व अन्य आरोपी सूफा आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और उन्होंने आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी। आरोपी आईएसआईएस के प्रेरित थे। एनआईए को अनुसंधान में पता चला कि आरोपी इमरान अपने खेत मे अन्य सह आरोपियों को आईईडी बनाने और असेम्बल करने की ट्रेनिंग देता था आरोपी इमरान के निर्देश पर ही अन्य आरोपी स्थानीय बाजार से रसायन और अन्य सामग्री खरीदकर लाते थे और विस्फोटक तैयार करते थे।

केसावत की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर। शहर की निचली अदालत ने मारपीट और हत्या का प्रयास करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी पर गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। जमानत अर्जी में कहा गया था कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा वह काफी दिनों से जेल में बंद है। यदि वह लंबे समय तक जेल में रहा तो उसके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

पूनिया ने आचार्य धर्मेन्द्र को श्रद्धांजलि दी

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने आज संतों की नगरी विराटनगर पहुंचकर आचार्य धर्मेन्द्र महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि, भगवान श्रीराम मंदिर से लेकर जनजागृति के लिए आचार्य धर्मेन्द्र के योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता, उनकी दिव्य प्रेरणा सदैव हमें मिलती रहेगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेन्द्र के निधन पर गहरा शोक जताते हुए उनके पुत्र भाजपा नेता प्रणवेन्द्र शर्मा को पत्र भेजकर संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखने वाले श्रीमद् पंचखण्ड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र का जीवन समाज और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा।

'जिस तरह सांड लाल कपड़े को देखकर आपा खो देता है, उसी प्रकार आप धारीवाल को देखकर खड़े हो जाते हैं'

स्पीकर डॉ.सी.पी.जोशी ने विधायक मदन दिलावर को जमकर फटकार लगाई

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में बीजेपी विधायक मदन दिलावर को अध्यक्ष सीपी जोशी ने लताड़ लगाई। स्पीकर ने कहा कि जिस तरह से सांड लाल कपड़े को देखकर अपना आपा खो देता है, ठीक वैसे ही आप भी मंत्री शांति धारीवाल को देखकर खड़े हो जाते हैं।

दरअसल, सदन में सिरोही में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आबूरोड में पेंडिंग कामों पर उठे सवाल का मंत्री शांति धारीवाल जवाब दे रहे थे। इसी बीच अचानक बीजेपी विधायक मदन दिलावर खड़े हो गए। इस पर स्पीकर जोशी नाराज हो गए और उन्होंने बीजेपी विधायक को जमकर फटकार लगाई। स्पीकर सीपी जोशी ने मदन दिलावर से कहा कि आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का उदाहरण पेश करना चाहते हैं। इसके बाद दिलावर बैठ गए। विधानसभा में मदन दिलावर उग्र तेवर अपनाते रहते हैं, स्पीकर पहले भी उन्हें फटकार लगा चुके हैं। लोढ़ा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बांटने में आबूरोड नगरपालिका की खराब प्रदर्शन को लेकर मंत्री और विभाग पर सवाल उठाए। इस दौरान लोढ़ा की स्पीकर से हल्की नोकझोंक भी हुई।

धारीवाल ने कहा कि सिरोही जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 19 फरवरी तक 30559 प्रकरणों में से 26381 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। मात्र 4 हजार 188 प्रकरण शेष रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में सात नगर पालिकाएं हैं। जिस भी नगरपालिका में अधिक संख्या में प्रकरण बाकी रह गए हैं, वहां विशेष टीम बनाकर भेजी जाएगी तथा अभियान चलाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। स्पीकर जोशी ने मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के विभाग को लेकर भी सवाल किया। जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि डैम पंचायत राज विभाग में ट्रांसफर हो चुके हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि जब इरिगेशन विभाग ने ज्यादातर डैम पंचायती राज विभाग को ट्रांसफर कर दिए हैं तो फिर यह काम जानने वाले लोगों को भी ट्रांसफर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब विभाग ने डैम ही ट्रांसफर कर दिया तो फिर विभाग को मैन पावर भी ट्रांसफर करनी चाहिए थी।

खोया पाया

मेरी 12वीं की मार्कशीट रोल नं. 0305479 व प्रमाण पत्र BHSIE UP Allahabad से 2013 में उत्तीर्ण की जो मालवीय नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-गीता देवी 9667943493

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत-तृतीय **राजस्थान आवासन मण्डल**
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर, दूरभाष संख्या :- 0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 2-क-11 नाहरी का नाका, जयपुर क्षेत्रफल 114.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री कान्ति चन्द गुप्ता पुत्र श्री श्रीलाल जी गुप्ता को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3495 दिनांक 24.05.1978 जारी किया गया। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय में दिनांक 22.03.1991 को करवाया गया। श्री कान्ति चन्द गुप्ता की मृत्यु दिनांक 31.03.2022 को हो जाने के कारण श्रीमती शीला देवी गुप्ता पत्नी स्व. श्री कान्ति चन्द गुप्ता के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर, उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती शीला देवी गुप्ता पत्नी स्व. श्री कान्ति चन्द गुप्ता के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s Grape WINE पता एच-9, चितरंजन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302001 पंजीयन संख्या 13/625/2017 DT.18.04.2017 में दिनांक 04.03.2021 को भागीदार गुंजन भंडारी पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी एवं मानवी भंडारी पुत्री श्री महेन्द्र सिंह भंडारी एवं निखिल भंडारी पुत्र श्री आर. एस. भंडारी एवं नरेन्द्र सिंह भंडारी पुत्र श्री जे.सी. भंडारी एवं उमेश राजवंशी पुत्र स्व. श्री किशन नारायण राजवंशी रिटायर हो गये हैं एवं दिनांक 04.03.2021 को पवन सिंघानी पुत्र श्री हीरा सिंघानी एवं हीरा सिंघानी पुत्र श्री नाउमल सिंघानी एवं श्रीमती उर्मिला सिंघानी पत्नि श्री पवन सिंघानी नवीन भागीदार प्रवेश हुए। सूचित रहे यदि किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर) में आपत्ति दर्ज करावे।
M/s GRAPE WINE

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1700 दिनांक-21.9.22
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा फ्लैट संख्या डीडब्ल्यूए/जी-801, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 47.530 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती प्रेम शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा को किया गया था। जिसका आंवटन पत्र क्रमांक, 463 दिनांक 12.06.2019 को जारी किया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 799 दिनांक 21.7.2020 के द्वारा श्रीमती प्रेम शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा को आवंटित उक्त फ्लैट को निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात श्रीमती प्रेम शर्मा की मृत्यु दिनांक 18.4.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री दीपक शर्मापुत्र स्व. श्री राजकुमार शर्मा ने निरस्त फ्लैट का रिफण्ड हेतु मृत्यु पश्चात् नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्री दीपक शर्मा पुत्र स्व. श्री राजकुमार शर्मा के द्वारा मण्डल अभिलेख में निरस्त फ्लैट का रिफण्ड हेतु मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतःउक्त फ्लैट के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोईआपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोईआपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री दीपक शर्मा पुत्र स्व. श्री राजकुमार शर्मा के पक्ष में उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवसन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम सुशील छाजेड से बदलकर सुशील कुमार छाजेड रख लिया है। भविष्य में इसी नाम से जाना जावे।

I have changed my name from Anand Kumar Kalani to Anand Kalani for all purposes R/o- 804 ARG Murli Heights, Naeeb Ji Ka Bagh, MD Road, Near Abhishek Hospital, Jaipur

I have changed my name from Mohd Sahid Tali S/o Munan Teli to Mohammed Shahid S/o Munna Mansoori for all purpose. Resi.: Teli Mohalla, Jain Mandir Ki Gali, Kishanagarh Renwal, Jaipur

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।